

भारत के राजपत्र, भाग 2, छंड 3, उपर्युक्त ₹ ११५ में प्रकाशनार्थ ४

भारत सरकार ११. १८
ऊर्जा मंत्रालय
कोयला विभाग

नई दिल्ली, १२ अक्टूबर २५-१०-८५

अधिसूचना

का० आ० ६५ केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजमत्र तारीख १७. सितम्बर, १९८३ में प्रकाशित कोयला धारक क्षेत्र ₹ ५ अर्जन और विकास ₹ ५ अधिनियम, १९५७ ₹ १९५७ का २०५ की धारा ७ की उप-धारा ₹ १५ के अधीन जारी की गई भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय कोयला विभाग की अधिसूचना सं० का०आ० ३५६६ तारीख ३० अगस्त, १९८३ द्वारा, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में, ₹ १६५.०० एकड़ ₹ ५ लगभग ₹ ६६.७७ हेक्टर ₹ ५ लगभग ₹ ५ माप की भूमि का अर्जन करने के अने आशंका की सूचना दी थी ;

और सक्रम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ८ के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने और बिहार सरकार से परामर्श करने के परामर्श दाता अधिकारीन हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित ₹ १६५.०० एकड़ ₹ ५ लगभग ₹ ६६.७७ हेक्टर ₹ ५ लगभग ₹ ५ माप की भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ९ की उप-धारा ₹ १५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह सोचना करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित ₹ १६५.०० एकड़ ₹ ५ लगभग ₹ ६६.७७ हेक्टर ₹ ५ लगभग ₹ ५ माप की भूमि का अर्जन किया जाता है ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायकृत हजारीबाग ₹ ५ बिहार ₹ ५ के कार्यालय या कोयला नियंत्रक, ।, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता या सेन्ट्रल कोलफील्डस निगिटेड ₹ ५ राजस्व अनुभाग ₹ ५ दरमें द्वारा सरांची ₹ ५ बिहार ₹ ५ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अनुसूची

लोइयो क्षेत्र विस्तार
पश्चिमी नोकारो कोरला क्षेत्र
जिला हजारी बाग झूविहारी

छाइग सं० राजस्थ 101/84
तारीह 29-6-1984

झिलमें अर्जित भूमि दर्शित की गई है

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियाँ
1.	लोइयो	मांडु	162	हजारीबाग	165.00	भाग

गुल क्षेत्र : 165.00 एकड़ झूलगभगू
या 66.77 हेक्टर झूलगभगू

लोइयो ग्राम में अर्जित प्लाट संख्याक :

1155 भागू, 1156 भागू, 1171 भागू, 1835 भागू, 1836 भागू,
1842 भागू, 1843 भागू, 1844 भागू, 1845 से 1854, 1855 भागू,
1857 भागू, 1858 भागू, 1910 भागू, 1911 भागू, 1912 भागू, 1913 से
1930, 1931 भागू, 1953 भागू, 1956 भागू, 1957 भागू, 1958,
1959 भागू, 1960 भागू, 1972 भागू, 1973 भागू, 1978 भागू, 1979
भागू, 1980 से 1994, 1995 भागू, 1996, 1997, 1998, 1999 भागू,
2000, 2001, 2002 भागू, 2003 भागू, 2013 भागू, 2019 भागू,
2020 भागू, 2021 भागू, 2022 भागू, 2023, 2024, 2025 भागू,
2026 भागू, 2027 भागू, 2028, 2029 भागू, 2030 भागू, 2031 भागू,
2032, 2033, 2034, 2035 भागू, 2036 भागू, 2037 से 2040, 2048
भागू, 2513 भागू, 2514 से 2517, 2520 भागू, 2521, 2522, 2523,

2524 भागौ, 2525 से 2538, 2541 भागौ, 2542 से 2547, 2548 भागौ, 2552 भागौ, 2554 भागौ, 2555, 2556, 2557, और 320 भागौ ।

सीमा वर्णन :

क-छ-ग-घ

रेखाएं, लोइयो ग्राम में प्लाट संख्यांक 2048, 1910, 1912, 1913, 1910, 1855, 1857, 1858 प्लाट संख्यांक 3462 की पूर्वी ओर दक्षिणी सीमा से होकर प्लाट संख्यांक 2524, 2513, 2524, 2520, 2524 और 3201 से होकर जाती है जो झारखण्ड कोयला छान के साथ भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है ।

घ - ड.

रेखा लोइयो ग्राम में प्लाट संख्यांक 3201, 2524, 2541 और 2524 से होकर जाती है जो लोइयो कोयला छान सीमा के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु "ड." पर मिलती है ।

ड.-च-छ-ज

रेखाएं लोइयो ग्राम के प्लाट संख्यांक 2524, प्लाट संख्यांक 2543 की पूर्वी सीमा से होकर प्लाट संख्यांक 2548, 2524, 2552, 2524, 2554, 2524, 1842, 1843, 1844, 1836, 1835, 1910, 1931, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1972, 1973, 1978, 1979, 1978, 2003, 2002, 1999, 1995, 2013, 1995, 2021, 2022, 2021, 2025, 2026, 2027, 2020, 2019, 2029, 2031 और 2030 से होकर जाती है जो कोयला अधिनियम की धारा 9 वीं 10 के अधीन अर्जित लोइयो काक के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु "ज" पर मिलती है ।

ज - झ

रेखा लोइयो ग्राम में प्लाट संख्यांक 2030, 2031, 1171, 2035, 2036, 1156 और 1155 से होकर जाती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है ।

झ - क

रेखा लोइयो ग्राम में प्लाट संख्यांक 2041 छुटुआ नदी की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

श्री रमेश गोपाल
टी.सी.ए. श्रीनिवासन

निदेशक

सं 430 19/23/84-सी.ए.

सेवा में

सहायक प्रबंधक तृतीया,

भारत सरकार गुद्धणालय,

मायापुरी,

नई दिल्ली।

Hindi - ४१६ ४०१ २०८२
 English - ४१६ ४०१ २०८५
 Sanskrit - ४१६ ४०१ २०८५
 Date - १८/८/८१

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 31]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1, 1981/श्रावण 10, 1903

No. 31]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1, 1981/SHRAVANA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ तंत्रमा भी आती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(राष्ट्र मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक
प्रावेश और प्रधिसूचनाएं

**Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 मई, 1981

भाष्यकार

का०मा० 2040.—केंद्रीय सरकार, भाष्यकार, प्रधिनियम, 1961
(1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23A) के खण्ड (v)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “दी इन्स्टिट्यूट ऑफ फ्रान्सिसन्स
मिशन; रोज़ ऑफ मेरि सोसाइटी फ्रिंचिरापल्ली” अन्तर्गत आने वाली
प्रबंधि को निर्धारण वर्ष 1980-81 और 1981-82 के अन्तर्गत आनेवाली
प्रबंधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्रधिसूचित करती है।

[सं० 3975/का०सं० 197/116/80-प्रा०क०(ए१)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th May, 1981

INCOME-TAX

S.O. 2040.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies “The Institute of Franciscan Missionaries of Mary Society, Tiruchirapalli” for the purpose of the said section for the period covered by assessment years 1980-81 and 1981-82.

[No. 3975/F: No. 197/116/80-IT(A1)]

471 G1/81-1

का०मा० 2041.—केंद्रीय सरकार, भाष्यकार, प्रधिनियम, 1961
(1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23A) के खण्ड (v)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “श्री मारिदम्मावरी मन्दिर,
पेड्हागुरम” को निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 के लिए उक्त
धारा के प्रयोजनार्थ प्रधिसूचित करती है।

[सं० 3976/का०सं० 197/120/80-प्रा०क०(ए१)]

S.O. 2041.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies “Sri Maridammavari Temple, Peddapuram” for the purpose of the said section for and from the assessment years 1978-79 to 1981-82.

[No. 3976/F. No. 197/120/80-IT(A1)]

नई दिल्ली, 29 मई, 1981

का०मा० 2042.—केंद्रीय सरकार, भाष्यकार, प्रधिनियम, 1961
(1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23A) के खण्ड (v)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “नरोत्तम लालभाई न्यास,
प्रह्लदावाद” को निर्धारण वर्ष 1980-81 और 1981-82 के अन्तर्गत
आनेवाली प्रबंधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्रधिसूचित करती है।

[सं० 3980/का०सं० 197/170/80-प्रा०क०(ए१)]

(2417)

New Delhi, the 29th May, 1981

S.O. 2042.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Narotam Lalbhai Trust, Ahmedabad" for the purpose of the said section for the period covered by assessment years 1980-81 and 1981-82.

[No. 3980/F. No. 197/170/80-IT(AI)]

का०आ० 2043.—केन्द्रीय सरकार, भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री सुब्रह्माण्या समाज, मुम्बई" को निर्वाचित वर्ष 1980-81 और 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3982/फा०सं० 197/130/80-प्रा०क० (ए1)]

S.O. 2043.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Subramanya Samaj, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by assessment years 1980-81 and 1981-82.

[No. 3982/P. No. 197/130/80-IT(AI)]

का०आ० 2044.—केन्द्रीय सरकार, भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "कस्तुरभाई लालभाई पूर्णन्यास, अहमदाबाद" को निर्वाचित वर्ष 1980-81 और 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3983/फा०सं० 197/181/80-प्रा०क० (ए1)]

S.O. 2044.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Kasturbhai Lalbhai Charity Trust, Ahmedabad" for the purpose of the said section for the period covered by assessment years 1980-81 and 1981-82.

[No. 3983/F. No. 197/181/80-IT(AI)]

नई दिल्ली, 6 जून, 1981

का०आ० 2045.—केन्द्रीय सरकार, भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री पद्मनाथ स्वामी मन्दिर, त्रिवेन्द्रम" को निर्वाचित वर्ष 1966-67 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4011/फा०सं० 197/38/78-प्रा०क० (ए1)]

के० के० पाण्डे, अवर सचिव

New Delhi, the 6th June, 1981

S.O. 2045.—In exercise of the powers conferred by clause of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sree Padmanabhaswamy Temple, Trivandrum" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1966-67 to 1981-82.

[No. 4011/F. No. 197/38/78-IT(AI)]

K. K. PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जून, 1981

भायकर

का०आ० 2046.—भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) का अनुसरण करते हुए तथा भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 7 जूलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 3526 (फा०सं० 398/1/80-प्रा०क०स०क०) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री पी० एच० वासवा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री पी० एच० वासवा द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार प्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4054/फा०सं० 398/21/81-प्रा०क०स०क०]

New Delhi, the 29th June, 1981

INCOME-TAX

S.O. 2046.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3526 (F. No. 398/1/80-ITCC) dated 7-7-1980, the Central Government hereby authorises Shri P. H. Vasava, being a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri P. H. Vasava takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4054/F. No. 398/21/81-ITCC]

का०आ० 2047.—भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए तथा भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 25 जूलाई, 1979 की अधिसूचना संख्या 2949 (फा०सं० 404/141/(क०व०भ०-राजकोट)/79 प्रा०क०स०क०) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री पी० जे० मकवाना को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री एस० जे० मकवाना द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार प्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4056/फा०सं० 398/21/81-प्रा०क०स०क०]

S.O. 2047.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 2949 (F. No. 404/141/(TRO-Rajkot)/79-ITCC) dated 25-7-1979, the Central Government hereby authorises Shri M. J. Makwana, being a gazetted officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri M. J. Makwana takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4056/F. No. 398/21/81-ITCC]